विविध बैंक **प्रकरण संख्या 31/2024(GCMS : 2024/54)** एस.के.फाईनेंस लि. क्षेत्रीय **कार्यालय जी–1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर जरिये अधिकृत** हस्ताक्षरकर्त्ता **श्री सुशील गोयल**

बनाम

1. **गुरनाम सिंह** पुत्र श्री मुकन्द सिंह निवासी वार्ड नं. 03, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर –335001
2. **परमजीत कौर** पत्नी श्री गुरनाम सिंह निवासी वार्ड नं. 03, गांधी बस्ती, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर –335001
3. **प्रहलाद राय सिसोदिया** पुत्र श्री सुल्तसान राम सिसोदिया, निवासी 76 गली नम्बर 2, मौची मौहल्ला, गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर–335001, राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.07.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री मनीष कुमार उपस्थित हुए। और निवेदन किया कि प्रार्थी एसके फाईनेंस लि. ने अप्रार्थीगण गुरनाम सिंह, परमजीत कौर एवं प्रहलाद राय सिसोदिया द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक/कम्पनी ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण की आवासीय सम्पत्ति मकान नम्बर ए/280, ए/281, वार्ड नम्बर 3, गली नम्बर 5, पुरानी आबारी, श्रीगंगानर (क्षेत्रफल 1711.98 वर्गफीट), का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2024 को प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:49:12 IST
Reason: SelfAttested

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 14.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी एस.के. फाईनेंस कम्पनी लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण गुरनाम सिंह, परमजीत सिंह एवं प्रहलाद राय के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण की आवासीय सम्पत्ति मकान नम्बर ए/280, ए/281, वार्ड नम्बर 3, गली नम्बर 5, पुरानी आबारी, श्रीगंगानर (क्षेत्रफल 1711.98 वर्गफीट), का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक/कम्पनी इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एस.के. फाईनेंस लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:49:12 IST
Reason: SelfAttested